

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संसाधन-लघुसिमा-0- (विविध)-238/2020 1567 (मौ)

/पटना, दिनांक-14-08-2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल,.....।

विषय:- आवंटन की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

कार्यपालक अभियन्ताओं द्वारा आवंटन हेतु की जाने वाली अधियाचना में यह पाया जा रहा है कि किसी-किसी योजना में एकरारित राशि से ज्यादा राशि की अधियाचना की गयी है।

इस संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि एकरारित राशि से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता होने पर उसकी स्वीकृति PWD Code के अनुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त की जाय।

अधियाचना में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि बढी हुई मात्रा एवं राशि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है।

सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति से सम्बन्धी आदेश की प्रति भी अधियाचना में संलग्न की जाय।

विश्वासभाजन

27/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1567 (मौ)

/पटना, दिनांक-14-08-2020

प्रतिलिपि-सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग,..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।